



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110029.



सं.11-26/2022 जागरूकता

दिनांक : 15 जून, 2022

विषय : विभिन्न प्रकार की आईईसी सामग्रियों को डिजाइन और तैयार करने के लिए बहु-मीडिया एजेंसियों/निर्माताओं/संगठनों के पैनल की रुचि की अभिव्यक्ति।

एनडीएमए जागरूकता सृजन अभियानों के लिए विभिन्न प्रकार की आईईसी सामग्रियों को डिजाइन और तैयार करने के लिए पहले से ही ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) (पूर्ववर्ती डीएवीपी) के साथ सूचीबद्ध प्रतिष्ठित बहु-मीडिया एजेंसियों/निर्माताओं/संगठनोंकोसूचीबद्ध करना चाहता है।

इच्छुक एजेंसी/निर्माता/संगठन, जो पहले से ही बीओसी (पूर्ववर्ती डीएवीपी) के साथ पैनल में हैं, अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (एनडीएमए की वेबसाइट अर्थात www.ndma.gov.in पर अपलोड किए गए के अनुसार) को आवश्यक दस्तावेजोंके साथ सीलबंद लिफाफेमेंसंबंधित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अर्थात् 'बहु- मीडिया', 22.07.2022 को 15:00 बजे तक निम्नलिखित पते परडाक के द्वारा या एनडीएमए के स्वागत कक्ष पर रखे गए टेंडर बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से जमा सकते हैं :

संयुक्त सलाहकार (पीआर एंड एजी)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110029

(मनोज कुमार जांगिड़)
अवर सचिव (पीआर एंड एजी)

**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(पीआर एंड एजी प्रभाग)**

एनडीएमए द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता सृजन अभियानों के लिए विभिन्न प्रकार की आईईसी सामग्रियों को डिजाइन और तैयार करने के लिए सृजनात्मक बहु-मीडिया एजेंसियों/संगठनों को पैनल में शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति।

उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर अपने जागरूकता सृजन अभियानों के लिए आईईसी सामग्रियों को तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों को सूचीबद्ध करना चाहता है।

2. पृष्ठभूमि

2.1 भारत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। 58.6 प्रतिशत भू-भाग माध्यम से बहुत उच्च तीव्र के भूकंप से प्रवण है; 40 मिलियन हेक्टर (भू-भाग का 12 प्रतिशत) बाढ़ और नदी कटाव से प्रवण है; 7,516 कि.मी. लंबी तटरेखा में से लगभग 5700 कि.मी. चक्रवात और सुनामी से प्रवण है; कृषि योग्य क्षेत्र का 68 प्रतिशत सूखे से प्रवण है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सीबीआरएन) मूल की आपदाओं/आपातस्थितियों के प्रति भी संवेदनशील हैं।

2.2 23 दिसंबर, 2005 को भारत सरकार ने आपदा अधिनियम 2005 को अधिनियमित करके निर्धारित कदम उठाया है, जिसमें डीएम की पहल और समग्र तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), और जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की अध्यक्षता में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), जैसा भी मामला हो, की स्थापना की परिकल्पना करता है। तब से, विकासात्मक लाभों का संरक्षण और जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए पूर्व राहत केंद्रित प्रतिक्रिया से एक सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी संचालित दृष्टिकोण की ओर परिप्रेक्ष्य परिवर्तन हुआ है।

3. एनडीएमए का दृष्टिकोण

“एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत् विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना जिसमें सभी हितधारकों और रोकथाम, तैयारी और प्रशमन की प्रथा को बढ़ावा दें।”

4. एनडीएमए का अधिदेश

एक शीर्ष निकाय के रूप में एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए अधिदेशित है ताकि आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए, इसके निम्नलिखित दायित्व हैं:-

- आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करना;
- राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन;
- राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को स्वीकृत करना;
- राज्य योजना तैयार करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के लिए उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजना के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करना;
- प्रशमन के प्रयोजन के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करना;
- प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता प्रदान करना जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए;
- आपदा की रोकथाम के लिए ऐसे अन्य उपाय करना या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन और तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय करना जो आवश्यक हों;
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के संचालन के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना।

5. जागरूकता अभियान के उद्देश्य

5.1 जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, एनडीएमए ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता पहल शुरू की है। लक्षित दर्शकों को प्रभावित करके आपदा प्रबंधन के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एनडीएमए के ये जागरूकता अभियान टीवी, रेडियो, प्रिंट, प्रदर्शनी, सोशल मीडिया आदि जैसे विज्ञापन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। एनडीएमए के जागरूकता अभियान दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर केंद्रित हैं :

- देश के नागरिकों को किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, ग्रीष्म लहर, शीत लहर आदि) के लिए तैयार करना।
- एनडीएमए की विभिन्न गतिविधियों पर जागरूकता फैलाना।

5.2 एनडीएमए द्वारा चलाए जा रहे अभियान

- i. प्राकृतिक आपदाओं पर ऑडियो-वीडियो स्पॉट;
- ii. मुद्रण सामग्री-पोस्टर और पत्रक;
- iii. मेट्रो स्टेशनों के अंदर और बाहर आपदा जागरूकता संदेशों को छापकर मेट्रो के माध्यम से अभियान;
- iv. समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रिंट अभियान;
- v. टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो-वीडियो अभियान;
- vi. प्रदर्शनों में भागीदारी;
- vii. एनडीएमए के स्थापना दिवस और आपदा से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन;

5.3 इन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने के लिए बहु-मीडिया एजेंसियों को विभिन्न संचार सामग्री (फिल्म, ऑडियो-वीडियो स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स, एनीमेशन फिल्म आदि) के डिजाइन और निर्माण के लिए नियुक्त किया जाएगा। ये एनडीएमए के पीआर एंड एजी प्रभाग के समग्र पर्यवेक्षण के तहत आईईसी प्रकोष्ठ के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

6. कार्य/सुपुर्दगी का दायरा

- i. श्रुत्य-दृश्य आईईसी सामग्रियों(जैसे फिल्म, ऑडियो-वीडियो स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स, एनीमेशन फिल्म/टीवी आदि) की डिजाइनिंग, तैयारी और निर्माण।
- ii. आईईसी सामग्री शुरू में हिंदी/अंग्रेजी में बनाई जाएगी और एनडीएमए की आवश्यकता के आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं में डब/अनुवाद की जाएगी।
- iii. ईएफसी सामग्री में एक सार्वभौमिक अपील होनी चाहिए ताकि इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपयोग किया जा सके।
- iv. एनडीएमए द्वारा आपदाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें संदेश, पृष्ठभूमि, सामग्री, लेख आदि शामिल होंगे। अभियानों का केंद्र ग्रामीण और शहरी जनता को आपदाओं के बारे में क्या करें और क्या न करें तथा जान और माल को बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में शिक्षित करना होगा।
- v. एनडीएमए का लोगो एनडीएमए द्वारा प्रदान किया जाएगा। एजेंसी इसे आवश्यकतानुसार क्रिएटिव में शामिल करेगी।
- vi. एजेंसी एनडीएमए के सुझावों पर फिल्म, ऑडियो-वीडियो स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स, एनीमेशन फिल्म/टीवी आदिको अंतिम रूप देगी। क्रिएटिव एनडीएमए की संपत्ति होंगे। एजेंसी वांछित प्रारूप और मीडिया में अंतिम और स्वीकृत क्रिएटिव को सौंपेगी।
- vii. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि फिल्म, ऑडियो-वीडियो स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स, एनीमेशन फिल्म/टीवी आदि की तैयारी के लिए उपयोग की जाने वाले कोई भी सामग्री किसी बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का उल्लंघन नहीं करती है। यदि किसी तीसरे पक्ष के आईपीआर का उल्लंघन होता है तो आईईसी सामग्री तैयारी करने वाली एजेंसी पीड़ित तीसरे पक्ष को मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। यह एनडीएमए की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा और मामले को निपटाने

के लिए आवश्यक तीसरे/अन्य पक्ष को लाइसेंस शुल्क और किसी भी अन्य भुगतान की अदाएगी करने की आवश्यकता होगी।

7. पात्रता मानदण्ड

- i. ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) (पूर्व डीएवीपी) के पैनल में शामिल प्रतिष्ठित एजेंसी/संगठन के लिए आमंत्रण खुला है और जिसका फिल्म/टीवी के निर्माण में विश्वसनीय पृष्ठभूमि हो।
- ii. सरकारी/सामाजिक क्षेत्र और ब्रांड निर्माण में अनुभव वाले को वरीयता मिलेगी।
- iii. एजेंसी के पास जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
- iv. एजेंसी के पास संबंधित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों की एक टीम होनी चाहिए।

8. नियम एवं शर्तें

- i. एजेंसी/संगठन को बीओसी (पूर्व डीएवीपी) की दरों पर भुगतान किया जाएगा, जो एनडीएमए के अनुमोदन के अधीन और एनडीएमए की संतुष्टि के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के बाद होंगे।
- ii. एजेंसी किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा वंचित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो। इसके लिए एजेंसी/कंपनी/फॉर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- iii. एजेंसी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुबंध-। में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपना आवेदन जमा करेगी, ऐसा न करने पर आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।
- iv. आवेदन संयुक्त सलाहकार (जन संपर्क एवं जागरूकता सृजन) (पीआर एंड एजी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 को संबोधित किया जाएगा।

9. चयन मानदण्ड

9.1 एनडीएमए की मूल्यांकन समिति निम्नलिखित के रूप में निर्दिष्ट मूल्यांकन मानदण्ड, उप-मानदण्ड और बिंदु प्रणाली को लागू करने वाले कार्य के दायरे की प्रतिक्रिया के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करेगी:

क्रम सं.	मानदण्ड	अधिकतम अंक
1.	अवसंरचना (मानव संसाधन, आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति 10 व्यक्ति हैं) (प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 अंक)	20
2.	पिछले 10 वर्षों में सरकारी परियोजनाओं को चलाने का अनुभव (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	10
3.	संचार सामग्री जैसे फिल्म, ऑडियो-वीडियो स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स, एनीमेशन फिल्म/टीवी आदि को तैयार करने के लिए एजेंसी द्वारा किए गए पिछले कार्य (एक कार्य आदेश और संतोषजनक कार्य समापन प्रमाणीकरण 5 अंकों का होगा)	25
4.	डीएम से संबंधित श्रुत्य-दृश्यको निर्माण करने का अनुभव (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	05

5.	प्रस्तुतीकरण	40
	योग	100

9.2 मूल्यांकन/चयन मानदण्ड के संबंध में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर मूल्यांकन आधारित होगा। क्रमांक 1 से 4 में उल्लिखित मानदण्ड के लिए 60 में से 45 अंक प्राप्त करने वाली एजेंसियों को एनडीएमए की समिति के समक्ष प्रस्तुती देने के लिए एक अधिसूचित समय और तिथि पर आमंत्रित किया जाएगा कि वे कैसे और किन विषयों पर अपदा न्यूनीकरण और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए तैयारियों के जागरूकता पैदा करने के लिए नवाचार और सृजनात्मक फिल्म तैयार करेंगे। एनडीएमए कितनी भी एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा और किसी भी एजेंसी से काम लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

9.3 सुपुर्दगी अवधि: एजेंसी (यों) को जब भी आवश्यक हो, कार्य आदेश में एनडीएमए द्वारा अनुमत अवधि के भीतर ऑडियो-वीडियो विजुअल के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी किया जाएगा। एनडीएमए समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अनुसार कार्य आदेश को रद्द करने सहित, विलंबित वितरण के लिए दंड का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9.4 निष्पादन सुरक्षा: समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 171 के प्रावधानों के अनुसार एजेंसी (यों) द्वारा कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, एजेंसी (यों) को प्रत्येक कार्य आदेश के लिए कार्य-निष्पादन सुरक्षा (नियमों के अनुसार तय की जाने वाली) जमा करने के लिए कहा जा सकता है।

9.5 कार्य के संतोषजनक समापन पर बीओसी (पूर्व डीएवीपी) अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। एजेंसी (यों) को शुरू में दो साल की अवधि के लिए काम में लगाया जाएगा, जिसे कार्य-निष्पादन के आधार पर सालाना दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।

10. आवेदन जमा करने के लिए शुल्क

10.1 एजेंसी डीडीओ, एनडीएमए, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित किसी भी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक से खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में 500/-रु. (पांच सौ रुपये मात्र) (अप्रतिदेय) की राशि जमा करेगी।

10.2 बीओसी (पूर्व डीएवीपी) के साथ पैनल में शामिल इच्छुक एजेंसी (यों)/संस्थान/संगठन को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (अनुलग्नक-1 के अनुसार) को 22.07.2022 को 15.00 बजे तक भेज देना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीलबंद ईओआई संयुक्त सलाहकार (पीआर एंड एजी) को भेजी जानी चाहिए।

ईओआई जमा करने का प्रारूप

1. संगठन का नाम :
2. पता, दूरभाष/फैक्स, ई-मेल :
3. स्थापना वर्ष :
4. बीओसी (पूर्व डीएवीपी) के साथ पैनलबद्ध करने का दस्तावेजी प्रमाण :
5. पंजीकरण विवरण :
6. जीएसटी संख्या :
7. निम्नलिखित का प्रमाण (दस्तावेजी प्रमाण) जमा किया जाना है :

क्रम सं.	मानदण्ड
1.	अवसंरचना (मानव संसाधन, आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति 10 व्यक्ति हैं) (प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 अंक)
2.	पिछले 10 वर्षों में सरकारी परियोजनाओं को चलाने का अनुभव (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)
3.	संचार सामग्री जैसे फिल्म, ऑडियो-वीडियो स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स, एनीमेशन फिल्म/टीवी आदि को तैयार करने के लिए एजेंसी द्वारा किए गए पिछले कार्य (एक कार्य आदेश और संतोषजनक कार्य समापन प्रमाणीकरण 5 अंकों का होगा)
4.	डीएम से संबंधित श्रुत्य-दृश्य निर्माण करने का अनुभव (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)

8. दस्तावेजी साक्ष्य (स्वप्रमाणिकरण) की उन्हें किसी सरकारी संस्थान द्वारा वंचित/ब्लैकलिस्ट नहीं दिया गया है ।
9. टीम संघटन :

शामिल किए जाने वाले अनुभवी व्यक्ति का नाम	पदनाम	व्यावसायिक पात्रता एवं विशेषज्ञता	व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य करने के वर्षों की संख्या	प्रस्तावित रणनीति के क्षेत्र में अनुभव
1	2	3	4	5

10. दस्तावेजी प्रमाण (स्वप्रमाणिकरण) के साथ आईईसी सामग्रियों के निर्माण का अनुभव।
11. ग्राहकों की वर्तमान सूची और उनके द्वारा निष्पादित सेवाओं का संक्षिप्त विवरण ।

ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना के प्रायोजक प्राधिकरण	परियोजना लागत	कार्य सौंपने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

12. एजेंसी के बारे में 200 शब्दों तक का एक लेख।
13. उपर्युक्त सभी के सहायक दस्तावेज और ईओआई में उल्लिखित अन्य योग्य मानदण्ड ईओआई के साथ प्रस्तुत किया जा सकते हैं।